छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 994/2002

याचिकाकर्ता	:	रायपुर विकास प्राधिकरण,
आवेदक द्वारा	:	सीईओ रायपुर विकास प्राधिकरण भवन रायपुर
उत्तरवादी	:	मेसर्स सरीन कन्स्ट्रक्शन कंपनी, रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक द्वारा	:	माध्यम :श्री अशोक सरीन, पिता स्वर्गीय
		श्री चमन लाल सरीन, सेक्टर 3, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 994/2002

रायपुर विकास प्राधिकरण

– बनाम –

मेसर्स सरीन कन्स्ट्रक्शन कंपनी रायपुर

आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक 24 मार्च, 2005

सही /–

एल सी भादू

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 994/2002

रायपुर विकास प्राधिकरण

– बनाम –

मेसर्स सरीन कन्स्ट्रक्शन कंपनी रायपुर

उपस्थित :

श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता के लिए

श्री सुनील ओतवानी, अधिवक्ता — उत्तरवादी के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

पारित किया गया – 24 मार्च 2005

माननीय न्यायमूर्ति , एल. सी. भादु

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जो माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), रायपुर द्वारा वाद क्रमांक 2–बी/2000 में पारित दिनांक 13.03.2002 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर फैसला करने का कोई अधिकारिता नहीं है।

2. इस याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है और इसलिए, मामले को मध्यस्थ को भेजा गया था, जिसने उत्तरवादी के पक्ष में दिनांक 11.12.1998 को मध्यस्थता अधिनिर्णय पारित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके पश्चात् "1996 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में उक्त निर्णय को निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि माननीय जिला न्यायाधीश ने उस आवेदन को माननीय अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसे वाद क्रमांक 2–बी/2000 के रूप में पंजीकृत किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों में संशोधन करते हुए, रायपुर के माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) के उस आवेदन पर विचार करने के अधिकारिता को इस आधार पर चुनौती दी कि माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेने की कोई अधिकारिता नहीं है। अन्य विवाधकों के अलावा, विवाधक क्रमांक 1 को अधिकारिता के संबंध में प्रारंभिक विवाधक आपत्ति के रूप में तैयार किया गया था और इसमें माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 13.03.2002 के आदेश के तहत निर्णय लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकारिता है।

3. याचिकाकर्ता की याचिका यह है कि 1996 के अधिनियम की धारा 2(ई) और 42 के प्रावधानों के दृष्टिकोण में केवल जिला न्यायाधीश, जो जिले का प्रमुख व्यवहार न्यायालय है, के पास 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर फैसला करने का अधिकारिता है। इसके अलावा उक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, इसलिए वह न्यायालय उक्त आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का हकदार नहीं था। इसलिए मननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश विकृत, अवैध और विधि के विपरीत है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस रिट याचिका पर उत्तरवादी की ओर से वापसी दायर की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय ने भी मामलों का फैसला करने के लिए जिला न्यायाधीश की शक्तियों के साथ निहित किया है। इसके अलावा, जिला न्यायाधीश ने व्य.प्र.सं. की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया, इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और जो जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं हैं।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1996 के अधिनियम की धारा 2(ई) और 42 तथा सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(17) के प्रावधानों के दृष्टिकोण में , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 2(ई) के अनुसार "न्यायालय" का तात्पर्य जिले के प्रमुख व्यवहार

न्यायालय से है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(17) के अनुसार, जिला न्यायाधीश प्रमुख व्यवहार न्यायालय का न्यायाधीश है और धारा 42 के दृष्टिकोण में जब मध्यस्थता समझौते के संबंध में कोई आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश के पास उक्त आवेदन को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है और जिला न्यायाधीश को आवेदन पर फैसला करना होता है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 (जिसे इसके बाद "1958 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 7(2) और 8 के प्रावधानों के दृष्टिकोण में , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें मूल अधिकारिता के प्रमुख व्यवहार न्यायालय के कार्य भी शामिल हैं, जिन्हें जिला न्यायाधीश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंप सकते हैं और ऐसे कार्यों के निर्वहन में वह जिला न्यायाधीश के समान शक्तियों का प्रयोग करेगा। अपने तर्कों के समर्थन में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय **1993 एमपीएलजे 603 विनोद कुमार जाजोदिया और अन्य बनाम बृज भूषण अग्रवाल** और साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय **2002(1) एआरबी एलआर 530 (कर्नाटक) वल्लियापा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क (प्राइवेट) लिमिटेड बैंगलोर बनाम सी सुंदरम और अन्य** का अवलंब लिया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, मैंने प्रासंगिक अभिलेखों और विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया है। इस संबंध में, 1996 के अधिनियम की धारा 2(ई) न्यायालय को परिभाषित करती है:

"न्यायालय" का अर्थ है किसी जिले में मूल अधिकारिता वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय, इसमें अपने साधारण मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसे मध्यस्थता का विषय–वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार है, यदि वह किसी वाद का विषय–वस्तु रहा हो। किन्तु इसमें ऐसे प्रधान व्यवहार न्यायालय से अधीनस्थ कोई व्यवहार न्यायालय या लघु वादों का कोई न्यायालय सम्मिलित नहीं है।

अधिनियम, 1996 की धारा 42 में यह परिकल्पना की गई है कि:

अधिकारिता : इस भाग में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी माध्यस्थम करार की बाबत इस बात के अधीन कोई आवेदन किसी न्यायालय में

किया गया है तो वहाँ ऐसी माध्यस्थम कार्यवाहियों तथा उक्त करार से उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती आवेदनों पर उसी न्यायालय की अधिकारिता होगी और माध्यस्थम कार्यवाहियाँ उसी न्यायालय में की जाएंगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं की जाएंगी।

इस संबंध में 1958 के अधिनियम की धारा 7 में यह परिकल्पना की गई है कि:

प्रधान सिविल अधिकारिता न्यायालय:

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय सिविल जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान व्यवहार न्यायालय होगा।

(2) (अपर जिला न्यायाधीश) जिला न्यायाधीश के किसी भी कृत्य का निर्वहन करेगा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक अधिकारिता के प्रधान व्यवहार न्यायालय के कृत्य भी हैं, जिन्हें जिला न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसे सौंपे और ऐसे कृत्यों के निर्वहन में वह जिला न्यायाधीश के समान शक्तियों का प्रयोग करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए अधिनियम की धारा 2(ई) और 42 का संयुक्त वाचन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि विधानमंडल का इरादा केवल एक न्यायालय – अधिकारिता वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय या, जैसी स्थिति हो, अपने साधारण आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय, जिस भी न्यायालय से पहले संपर्क किया जाए, को मध्यस्थता करार, और अधिनिर्णय, तथा सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित सभी मामलों के लिए स्थल बनाने का था। धारा 2(ई) और 42 को सरल भाषा में व्यक्त करने का अर्थ यह होगा कि 'मध्यस्थता करार के संबंध में' कोई भी आवेदन, किसी जिले में मूल अधिकारिता के प्रधान न्यायालय में, या जैसी स्थिति हो, उच्च न्यायालय के मूल सिविल अधिकारिता में, दायर करना होगा, जिसके पास मध्यस्थता की विषय–वस्तु पर निर्णय करने का अधिकार है, यदि वही किसी वाद की विषय–वस्तु रही है। और केवल उस न्यायालय को, जिसमें आवेदन दायर किया गया है, संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकारिता होगी, तथा किसी अन्य न्यायालय को नहीं, जिसके पास मध्यस्थता की विषय–वस्तु से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करने की अधिकारिता है। मध्यस्थता समझौते के संबंध में धारा 42 में प्रयुक्त भाषा इतनी व्यापक है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 में निर्दिष्ट आधारों पर मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही अधिनियम की धारा 32 की उपधारा(2) के अंतर्गत अंतिम अधिनिर्णय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा समाप्त होती है। लेकिन मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति धारा

33 और धारा 34 की उपधारा(4) के अधीन है जैसा कि धारा 32 की उपधारा (3) में दर्शाया गया है। इसलिए, धारा 34 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में अधिनियम की धारा 42 आवश्यक रूप से लागू होगी।

9. अब यदि हम 1996 के अधिनियम की धारा 2(ई) और 42 के प्रावधानों को 1958 के अधिनियम की धारा 7(2) के साथ पढ़ते हैं, भले ही 1958 के अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें मूल अधिकारिता के प्रधान व्यवहार न्यायालय के कार्य भी शामिल हैं, जिन्हें जिला न्यायाधीश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंप सकते हैं और ऐसे कार्यों के निर्वहन में वह जिला न्यायाधीश के समान शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या जिला न्यायाधीश, जिसके समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया है, को 1996 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के स्पष्ट अधिदेश के विरुद्ध व्य.प्र.सं. की धारा 24 और 1958 के अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के प्रावधानों को लागू करके उस आवेदन को स्थानांतरित करने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जैसा कि धारा 2 (ई) के ऊपर चर्चा की गई है और 1996 के अधिनियम की धारा 42 के अभिभावी प्रभाव को देखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं है और जिला न्यायाधीश, 1958 के अधिनियम की धारा 7(2) या व्य.प्र.सं. की धारा 24 में निहित प्रावधानों को लागू करके, इसके निराकरण के लिए आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। धारा 34 के अधीन अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन, "मध्यस्थता करार के संबंध में" उसी प्रकार किया जा सकता है, जिस प्रकार वह "मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने" के लिए किया जाता है और यह वैधानिक बाध्यता का विषय है कि ऐसा आवेदन प्रधान व्यवहार न्यायालय या जिले में आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय में या उच्च न्यायालय में किया जाए, जो अपने साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में मध्यस्थता का विषय बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने की अधिकारिता रखता है, यदि वही किसी वाद का विषय क्षेत्र रहा हो। और यह पुनः वैधानिक अधिदेश का विषय है कि जिस न्यायालय में आवेदन किया जाता है, 'केवल उसी को मध्यस्थ कार्यवाहियों और उस करार से उत्पन्न होने वाले सभी पश्चातवर्ती आवेदनों पर अधिकारिता होगी' और मध्यस्थ कार्यवाहियां उसी न्यायालय में की जाएंगी, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। आवेदन को किसी अन्य न्यायालय को

हस्तांतरित/सौंपने की शक्ति, जो अन्यथा मध्यस्थता के विषय–वस्तु का निर्माण करने वाले प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकारिता रखता हो, यदि वह किसी वाद का विषय–वस्तु होता, धारा 42 द्वारा निहित रूप से छीन ली गई थी, जिसे अध्यारोही प्रभाव से भरी भाषा में तैयार किया गया है। चूंकि धारा 42 में प्रयुक्त शब्द यह है कि 'इस भाग में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तब केवल न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाहियों और उस करार से उत्पन्न होने वाले सभी पश्चातवर्ती आवेदनों पर अधिकारिता होगी और मध्यस्थता कार्यवाहियां उसी न्यायालय में की जाएंगी, किसी अन्य न्यायालय में नहीं', इसलिए इस धारा में केवल यही भाषा प्रयोग की गई है कि वह जिला न्यायाधीश, जिसके समक्ष धारा 34 के अधीन आवेदन किया गया है, सुनवाई करने के लिए सक्षम है और वह धारा 42 के विधि के अधिदेश के विरुद्ध, 1958 के अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों का आह्वान करके उक्त आवेदन को अपर जिला न्यायाधीश को अंतरित नहीं कर सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि – 'इस भाग में अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी'। इसलिए, मेरे सुविचारित मत में, उपरोक्त चर्चा के दृष्टिकोण में जिला न्यायाधीश आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं थे और परिणामस्वरूप अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास उक्त आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकारिता नहीं है। यह सच है कि 1958 के अधिनियम की धारा 7(2) के दृष्टिकोण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रधान व्यवहार न्यायालय के कार्यों का भी निर्वहन कर सकते हैं और वह जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं, इसलिए जिला न्यायाधीश अन्य मामलों को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन 1996 के अधिनियम की धारा 42 की भाषा के दृष्टिकोण में जिला न्यायाधीश 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं और इस दृष्टिकोण के लिए मैं **एआईआर 1996 इलाहाबाद 313 में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड इलाहाबाद बनाम जिला न्यायाधीश इलाहाबाद और अन्य** के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से पुष्ट हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए केस कानूनों पर आते हैं, विनोद कुमार जाजोदिया (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय उत्तरवादी की कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि यह तथ्यों के आधार पर अलग–अलग है और कुछ साधारण धन संबंधी मुकदमे से संबंधित था और इसीलिए उच्च न्यायालय ने माना कि 1958 के अधिनियम की धारा 7(2) और 8 के दृष्टिकोण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई करने के हकदार थे। इस मामले में 1996 के अधिनियम

की धारा 42 के प्रावधान बिल्कुल भी प्रासंगिक और आकर्षक नहीं थे। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के अन्य निर्णय का संबंध है, जिस पर उत्तरवादी अर्थात वल्लियापा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर (पूर्वोक्त) के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, यह निर्णय भी उत्तरवादी की कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि इस मामले में यह नहीं माना गया है कि प्रधान शहर व्यवहार न्यायाधीश 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को अन्य शहर व्यवहार न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के हकदार थे। इस मामले में बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम 1979 की धारा 2(2) और (3), धारा 3(1), धारा 2(4) और धारा 2(6) की व्याख्या करने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि "1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन बैंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट नंबर 6 में दायर किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रिंसिपल सिटी व्यवहार न्यायाधीश ने बैंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट में दायर सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों को 6 वें अतिरिक्त सिटी व्यवहार न्यायाधीश को आवंटित कर दिया है, जो हॉल नंबर 11 में बैठते हैं। यह प्रिंसिपल सिटी व्यवहार न्यायाधीश द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन पर विचार करने और फिर उक्त आवेदन को 6 वें अतिरिक्त सिटी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का मामला नहीं है, जो कोर्ट हॉल नंबर 11 में बैठते हैं। इसलिए चूंकि प्रिंसिपल सिटी व्यवहार न्यायाधीश और अतिरिक्त सिटी व्यवहार न्यायाधीशों को बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट एक्ट 1979 के प्रावधानों और उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिकोण में समान स्तर पर रखा गया था, प्रिंसिपल सिटी व्यवहार न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत यह निर्देश दिया गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत सभी आवेदन मननीय 6 वें अतिरिक्त सिटी व्यवहार न्यायालय द्वारा विचार किए जाएंगे और वे आवेदन जहां केवल उस न्यायालय के समक्ष दायर किए जा रहे हैं और यह ऐसा मामला नहीं था जहां आवेदन पहले प्रिंसिपल सिटी व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया था और फिर इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, तथ्यों के आधार पर उपरोक्त निर्णय भी उत्तरवादी के लिए कोई मदद नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया, लेकिन वे विवाद के बिंदु से प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए इस आदेश में उन पर चर्चा नहीं की गई है।

13. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिकोण में, मेरा यह मत है कि जिला न्यायाधीश, रायपुर, जो जिले का प्रमुख शहरी व्यवहार न्यायालय है, 1996 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के दृष्टिकोण में, अधिनिर्णय को

अपास्त करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को उसके समक्ष स्थानांतरित करने के हकदार नहीं थे।

14. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है, उसे स्वीकार किया जाता है और दिनांक 13.03.2002 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), रायपुर मामले के अभिलेख को जिला न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को विधि के अनुसार निराकरण हेतु वापस भेजेंगे। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

15. इस आदेश की प्रतिलिपि सभी जिला न्यायाधीशों को उनकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

सही /–
एल. सी. भादु
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजन हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Advocate Aatish Mishra